



प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,  
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून : दिनांक : 27 फरवरी, 2019

कृपया अपने पत्र संख्या 3735 /Affi-2017-18 दिनांक 30.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा० पीताम्बर बड़थवाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार को बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2018-20 (अर्थात् सत्र 2018-19 एवं सत्र 2019-20) की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल व कुलपति जी की संस्तुति के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-6 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत मा० कुलाधिपति जी द्वारा निम्नानुसार सैद्धान्तिक सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

(1) सत्र 2018-19 के बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में (50 सीटों हेतु) सम्बद्धता के सम्बन्ध में छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत मा० राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा सैद्धान्तिक सहमति/अनुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि सम्बद्धता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा यू०जी०सी० विनियमों के अनुसार लेते हुए तदनुसार सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत करने की कार्यवाही की जाय।

(2) सत्र 2019-20 में बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में (50 सीटों हेतु) अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर पूर्वानुमोदन इस आशय से दिया गया है कि सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश कार्यपरिषद/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जायेगा।

3- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4- कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4528 (1) / जी०एस० / शिक्षा / A11-81(1) / 2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
- ✓ 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

(विक्रम सिंह यादव)

कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।